संशोधन

संख्या- 122 /2025/ 999 /चार-2025-1891783

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2025**

विषय:- पद्मविभूषण विदुषी गिरिजा देवी जी की स्मृति में समारोह पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में अपने पत्र संख्या- 5972/सं0नि0-15(94)/2024-25 दिनांक 21 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या-66/2025/547/ चार-2025-1891783 दिनांक 14.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में शासनादेश संख्या- 66/2025/547/ चार-2025-1891783 दिनांक 14.02.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-66/2025/547/ चार-2025-1891783 दिनांक 14.02.2025 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों में बिन्दु संख्या - (11) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(11) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त शासनादेश संख्या- 66/2025/547/ चार-2025-1891783 दिनांक 14.02.2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 122 /2025 / 999 (1)/चार-2025-1891783 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in